135

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 111/निगरानी/श्योपुर/भू0रा0/2017/ 3659

धप्पोबाई पत्नी तेजपाल जाति जाट निवासी ग्राम पहेला तह0 करहाल जिला श्योपुर म0प्र0 .....आवेदिका

बनाम

1–तैजपाल पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम पहेला तह0 करहाल जिला श्योपुर

2–जसवन्त पुत्र रामलाल जाति जाट

3–वलवन्त सिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति जाट

4–काडू पुत्र फूलचन्द आदिवासी

5–नाथूलाल पुत्र मडडूलाल जाति गुर्जर

6–धर्मराज पुत्र चतुरसिंह जाति गुर्जर

निवासी ग्राम पहेला तह0 करहाल जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

7–वृजवल्लभ पुत्र अमरलाल जाति जौशी निवासी किशनगंज जिला बांरा (राज0)

.....अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 29/08/2017 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र0क0 139/13–14 अपील/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम पहेला तह0 करहाल जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 479 की जानकी बाई के वारिसान सुमन, उभयसिंह, अजयसिंह, भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी थे।

2– यह कि भूमि सर्वे क0 479 रकवा 19 वीघा 5 विश्वा आवेदिका द्वारा जर्ये रजि0 विकय पत्र द्वारा जानकी बाई के वारिसान से दिनांक 17/07/2008 को कय किया उसी दिनांक से आवेदिका विवादित भूमि पर काबिज होकर कास्त करती चली आ रही है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/श्योपुर/भूरा/2017/3659

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
25 –10–17	आवेदकगण के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 139/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29.8.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि आवेदिका द्वारा विवादित भूमि सर्वे कमांक 479 रकवा 19 बीघा 5 विस्वा जानकी बाई के वारिसान से रजिस्टर्ड विकय पत्र से दिनांक 17.7.08 को कय की गई है, उसी दिनांक से वह काबिज होकर कास्त करती चली आ रही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा अनावेदकगण को पटटे प्रदाय कर दिये गये है क्यों कि वह भूमि भू–दान की बताई जा रही है। उनका यह भी कहना है कि आवेदिका को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जावे। तथा प्रकरण में आवेदिका को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जावे। जिससे वह अपना पक्ष समर्थन कर सके।	

3– प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 29.8.17 को आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण में स्थगन दिये जाने हेतु धारा 52 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर आवेदिका धप्पो बाई पत्नि तेजपाल को प्रकरण में आवेदक के रूप में पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया गया था लेकिन अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा आवेदिका के अधिवक्ता का आवेदन अस्वीकार किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 26.9.17 पेशी नियत की गई। प्रकरण में आवेदिका द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि सर्वे कमांक 479 रकवा 19 बीघा 5 विस्वा जानकी बाई के वारिसान से रजिस्टर्ड विकय पत्र से दिनांक 17.7.08 को कय की गई है। प्रकरण में आवेदिका का हित निहित है। इसलिये उसे पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

4– उपरोक्ता विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 139/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29.8.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को प्रत्यावर्तित कर आदेशित किया जाता है कि आवेदिका को आवेदक के रूप में पक्षकार बनाया जावे, तथा प्रकरण में सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य